लेटर्स पेटेंट अपील

माननिए मुख्य न्यायमूर्ति हरबंस सिंह और न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया

बुधु राम आदि, अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य आदि, उत्तरदाताओं

1971 के लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 359

21 अप्रैल, 1972

भूमि अधिग्रहण अधिनियम* (*1894* का 1) - धारा 18 और धारा *31*, दूसरा परंतुक - कलेक्टर द्वारा किए गए मुआवजे के लिए अवॉर्ड - आवेदक बनाना, *अधिनिर्णय के अस्वीकार्य होने के आधार पर धारा* 18 *के तहत संदर्भ की मांग करने वाला आवेदन - आवेदक द्वारा बिना किसी विरोध के मुआवजे की राशि प्राप्त करना - कलेक्टर - क्या मामले को सिविल को संदर्भित करने से इनकार करने का अधिकार है। न्यायालय - विरोध के तहत मुआवजे की प्राप्ति - इस तरह का विरोध - क्या रसीद में ही शामिल किया जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित :

1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को निष्कासन का कानून माना जाता है, और धारा 31 (2) का दूसरा परंतुक संबंधित पक्ष से धारा 18 के तहत दिए गए अधिकार को हटा देता है ताकि वे उन्हें बकाया मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सिविल कोर्ट में संदर्भ प्राप्त कर सकें। व्याख्या के सिद्धांत अत्यधिक उदार व्याख्या के खिलाफ चेतावनी देते हैं जो धारा 18 के तहत संबंधित पार्टी को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परंतुक विशेष रूप से एक व्यक्ति को "आवेदन करने" से रोकता है जिसने विरोध के बिना मुआवजा प्राप्त किया है। एक बार वैध आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यह केवल इसलिए वैधता नहीं खो देता है क्योंकि धारा 31 (2) का दूसरा परंतुक बाद में मुआवजे की स्वीकृति के माध्यम से लागू होता है। परंतुक केवल धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन दाखिल करने से रोकता है और स्वाभाविक रूप से लंबित आवेदन को संबोधित नहीं करता है। हालांकि, अगर मुआवजा स्वीकार किया जाता है और, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि छूट दी गई है - चाहे निहित हो या व्यक्त की गई हो - यह एक अलग मामला है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन सिविल कोर्ट के

संदर्भ के लिए दायर किया जाता है और मुआवजे की राशि बाद में स्वीकार की जाती है, धारा 31 का दूसरा परंतुक लागू नहीं होता है। कलेक्टर के पास अधिनियम की धारा 18 के तहत अदालत में रेफरल को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के समय वैध है, आवेदक द्वारा निर्णय स्वीकार करने से पहले और निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया है।

(पैरा 17 and 21)

अभिनिर्धारित :

अधिनियम की धारा 31 का दूसरा परंतुक विशेष रूप से उन स्थितियों से संबंधित है जहां भुगतान "विरोध के अलावा" प्राप्त होता है। मुआवजा प्राप्त करने के समय जारी रसीद में इस विरोध को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है; यह रसीद जारी होने से पहले भी हो सकता है।

(पैरा 9)

माननीय न्यायमूर्ति सी जी सूरी के निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट अपील, जिसे सिविल रिट सं 2011 में पारित किया गया था। 7 मई, 1971 को 1970 का 2902।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पीएस जैन और वीएम जैन।

उत्तरदाताओं के लिए हरियाणा के एडवोकेट-जनरल के वकील सीबी कौशिक।

निर्णय

मुख्य न्यायमूर्ति हरबंस सिंह,–

(1) वे तथ्य, जिन पर विवाद नहीं है, जो लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत इस अपील की ओर ले जाते हैं, संक्षेप में निम्नानुसार बताए जा सकते हैं।

(2)गुड़गांव जिले में फरीदाबाद के नियोजित विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कलेक्टर ने 19 नवंबर, 1968 को एक अवॉर्ड जारी किया। बुद्धू राम और उनके भाई देवी राम, जिनकी भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था, ने इस अवॉर्ड को स्वीकार नहीं किया। 24 दिसंबर, 1968 को, उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उनसे दो मुख्य बिंदुओं का हवाला देते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (अधिनियम के रूप में

संदर्भित) की धारा 18 के तहत मामले को संदर्भित करने का आग्रह किया गया। सबसे पहले, उन्होंने कम मूल्यांकन का विरोध किया और कहा कि इसे 40 रुपये प्रति वर्ग गज पर निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने मुआवजे के बंटवारे को लेकर चिंता जताई। आवेदकों ने तर्क दिया कि पूरा मुआवजा उन्हें देय होना चाहिए, यह कहते हुए कि उमराव सिंह और तुला राम, जिनके पास पट्टे थे, कुछ खेतों में हिना वृक्षारोपण को छोड़कर, भूमि के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं थे। इस आवेदन की एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है। आवेदन के पैराग्राफ 3 में यह निम्नानुसार कहा गया था:–

> कि आपके याचिकाकर्ता इस फैसले से व्यथित हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके सम्मान को भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 की संख्या 1) की धारा 18 के तहत मामले को सिविल कोर्ट में भेजने की कृपा करें ताकि मूल्यांकन और मुआवजे के सवाल का निर्धारण किया जा सके और अन्य आधारों के बीच निम्नलिखित पर मुआवजा प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति:–****”.
>
> पहला आधार (ए) यह है कि "अधिग्रहित भूमि का बहुत कम मूल्यांकन किया गया है और इसका बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए था"।

(3) लगभग आठ महीने बाद, 22 अगस्त, 1969 को, कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं को अवॉर्ड में निर्दिष्ट मुआवजा राशि के लिए एक भुगतान वाउचर अग्रेषित किया। याचिकाकर्ताओं ने बाद में इस वाउचर को भुना लिया। 10 जुलाई, 1970 तक बिना किसी विकास के लगभग एक साल बीत गया, जब कलेक्टर ने याचिकाकर्ताओं को एक पत्र (अनुलग्नक 'बी' के रूप में संलग्न प्रति) भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि, चूंकि उन्होंने बिना किसी आपत्ति के मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली थी, इसलिए मामले को अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है। इस पत्र को प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ताओं ने 24 जुलाई, 1970 के एक पत्र में विरोध दर्ज कराया (अनुलग्नक 'सी' के रूप में संलग्न प्रति), यह कहते हुए कि उन्होंने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया था, इसे आवेदन के माध्यम से चुनौती दी थी, और "वाउचर द्वारा भुगतान प्राप्त होने से काफी पहले संदर्भ आवेदन दायर किया था, जो निश्चित रूप से उपरोक्त याचिका के अधीन था। कलेक्टर से मामले को संदर्भित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन 18 अगस्त, 1970 के एक अन्य पत्र (अनुलग्नक 'डी' के रूप में संलग्न प्रति) में, कलेक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह बाद में था कि रिट याचिका, जो वर्तमान अपील की ओर ले जाती है, दायर की गई थी।

(4) रिट याचिका में प्राथमिक तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया और

असंतुष्ट थे। इस बात पर जोर दिया गया कि उन्होंने संदर्भ का अनुरोध करते हुए मुआवजा राशि और इसके वितरण दोनों का विरोध किया। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया था कि, इन परिस्थितियों को देखते हुए, भुगतान की बाद की स्वीकृति पर पहले की याचिका में बताए गए तथ्यों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए।

(5) माननिए एकल न्यायमूर्ति ने एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, विशेष रूप से श्रीमती कैलाश देवी और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (1970 के सीडब्ल्यू संख्या 2524 का फैसला 10 नवंबर, 1970 को किया गया था।) के मामले में, जिसने बदले में, सुरेश चंद्र रॉय बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर , चिनसुराह ए.आई.आर. 1964 कैल 283 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पूर्व निर्णय का हवाला दिया, निष्कर्ष निकाला कि चूंकि मुआवजा वाउचर स्वीकार करते समय कोई आपत्ति या विरोध नहीं उठाया गया था। यह स्थिति अधिनियम की धारा 31 (2) के दूसरे परंतुक के दायरे में आती है। नतीजतन, अधिनियम की धारा 18 के तहत मामले को संदर्भित नहीं करने के कलेक्टर के फैसले को उचित माना गया, जिससे रिट याचिका खारिज हो गई और इस अपील की शुरुआत हुई।

(6) अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पहले, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की समीक्षा करना आवश्यक है। धारा 11 के अनुसार, कलेक्टर, एक जांच के बाद, भूमि के सटीक क्षेत्र, भूमि के लिए डीम्ड मुआवजे और भूमि में रुचि रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच इसके वितरण का विवरण देते हुए एक अवॉर्ड जारी करने के लिए बाध्य है। धारा 12 के अनुसार, कलेक्टर के कार्यालय में दायर एक अवॉर्ड "इसके बाद के प्रावधान को छोड़कर" अंतिम रूप प्राप्त करता है। अधिनिर्णय की यह निर्णायकता स्पष्ट रूप से अधिनियम के भाग III में उल्लिखित न्यायालय के संदर्भ की संभावना के अधीन है। भाग III धारा 18 से शुरू होता है, जो निम्नानुसार है:

> (1) कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसने अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि कलेक्टर द्वारा निर्दिष्ट मामले को न्यायालय के निर्धारण के लिए, चाहे उसकी आपत्ति भूमि के माप, मुआवजे की राशि, जिस व्यक्ति को यह देय है, या इच्छुक व्यक्तियों के बीच मुआवजे के विभाजन के बारे में हो।
>
> (2) आवेदन में उन आधारों को बताया जाएगा जिन पर निर्णय पर आपत्ति की गई है:
>
> परंतुक कि ऐसा हर आवेदन किया जाएगा,–

(क) यदि इसे बनाने वाला व्यक्ति कलेक्टर के अवॉर्ड की तारीख से छह सप्ताह के भीतर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित या प्रतिनिधित्व कर रहा था जब उसने अपना अवॉर्ड दिया था;

(ख) अन्य मामलों में, धारा 12, उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर से नोटिस प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर या कलेक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाएगी।

(7) धारा 19 में वह जानकारी दी गई है जो कलेक्टर द्वारा मामले को अदालत में भेजने में दिए गए बयान में शामिल की जाएगी। धारा 20 में उन नोटिसों का प्रावधान है जो न्यायालय द्वारा भेजे जाने हैं। धारा 21 जांच का दायरा बताती है। धारा 23 उन मामलों से संबंधित है जिन पर मुआवजा धारा 24 का निर्धारण करने में विचार किया जाना है, उन मामलों के साथ जिन्हें मुआवजे के आंकड़े तक पहुंचने में ध्यान में नहीं रखा जाना है। धारा 25 में प्रावधान है कि दिया जाने वाला मुआवजा कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे से कम नहीं हो सकता है और अधिनियम की धारा 9 के तहत दिए गए किसी भी नोटिस के अनुसरण में आवेदक द्वारा दावा किए गए मुआवजे से अधिक नहीं हो सकता है। धारा 26 अवॉर्ड के रूप से संबंधित है, धारा 27 लागत के साथ और धारा 28 ब्याज के भुगतान के निर्देशों से संबंधित है। आदि। धारा 29 और 30 भाग IV में निहित हैं और मुआवजे के विभाजन के प्रश्न से संबंधित हैं। धारा 31 "भुगतान" शीर्षक के साथ भाग V में है। यह धारा निम्नानुसार है:–

“(1) धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय देने पर, कलेक्टर अपने द्वारा प्रदत्त क्षतिपूत का भुगतान अधिनिर्णय के अनुसार उसके इच्छुक व्यक्तियों को करेगा और उन्हें तब तक भुगतान करेगा जब तक कि अगली उपधारा में उल्लिखित किसी एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका न जाए।

(2) यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, या यदि भूमि को अलग करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति नहीं है, या यदि मुआवजा प्राप्त करने के लिए शीर्षक या इसके विभाजन के बारे में कोई विवाद है, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि को अदालत में जमा करेगा, जिसके लिए धारा 18 के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतुक कि रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति राशि की पर्याप्तता के विरोध में ऐसा भुगतान प्राप्त कर सकता है:

परंतुक कि कोई भी व्यक्ति जिसने विरोध के तहत अन्यथा राशि प्राप्त की है, धारा 18 के तहत कोई आवेदन करने का हकदार नहीं होगा:

****.

****.

****."

यह अधिनियम की धारा 31(2) के दूसरे परंतुक की व्याख्या है जो विचाराधीन है।

(8) धारा 18 (1) के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया है, उसे संदर्भ के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। धारा 31 की उपधारा (1) के प्रारंभिक खंड में स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है कि धारा 11 के तहत निर्णय दिए जाने के तुरंत बाद, कलेक्टर को अपने फैसले के अनुरूप मुआवजे की पेशकश करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। यदि, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी कारण से, कलेक्टर भुगतान करने में असमर्थ है, तो इसे "उस अदालत में जमा किया जाना चाहिए जिसमें धारा 18 के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। आमतौर पर, धारा 31 की उपधारा (1) और (2) के तहत कार्रवाई अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के चरण से काफी पहले की जाती है। धारा 31 (2) का पहला परंतुक व्यक्ति को इसकी पर्याप्तता पर असंतोष व्यक्त करते हुए भुगतान स्वीकार करने का अधिकार देता है। दूसरे परंतुक में कहा गया है कि यदि व्यक्ति "विरोध के अलावा अन्यथा" राशि स्वीकार करता है, तो उन्हें "धारा 18 के तहत कोई आवेदन करने" की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, दूसरे परंतुक के शब्दों का तात्पर्य है कि धारा 18 के तहत आवेदन जमा करने के लिए आवंटित समय से पहले मुआवजा वितरित किया जाना है। धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने की समय सीमा उस धारा की उपधारा (2) के परंतुक में निर्दिष्ट की गई है। इस अवधि को कलेक्टर के अवॉर्ड के छह सप्ताह के भीतर के रूप में रेखांकित किया जाता है यदि कोई व्यक्ति अवॉर्ड के समय उपस्थित होता है, या, अन्य उदाहरणों में, धारा 12 (2) के तहत कलेक्टर से नोटिस प्राप्त करने के छह सप्ताह के भीतर, या कलेक्टर के अवॉर्ड की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी अवधि पहले समाप्त हो जाती है।

(9) अपीलकर्ताओं ने दृढ़ता से तर्क दिया, सबसे पहले, धारा 31 (2) का दूसरा परंतुक विशेष रूप से उन स्थितियों को संबोधित करता है जहां धारा 18 के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले भुगतान प्राप्त होता है। यह उस व्यक्ति को आवेदन जमा करने से रोकता है जिसने "विरोध के अलावा अन्यथा" राशि प्राप्त की है। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां धारा 18 के तहत एक आवेदन किया गया है, जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) में उल्लिखित एक या अधिक आधारों के आधार पर फैसले को चुनौती दी गई है, इस तरह के भुगतान को प्राप्त करने से पहले दायर किया गया है। दूसरे, इस बात पर जोर दिया गया कि यह परंतुक विशेष रूप से उन उदाहरणों से संबंधित है जहां भुगतान "विरोध के बजाय अन्यथा"

प्राप्त होता है। यह विरोध मुआवजा प्राप्त करने के समय जारी रसीद में स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक नहीं है; यह रसीद जारी करने से पहले भी हो सकता है। महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुआवजे का भुगतान "विरोध के बजाय अन्यथा" प्राप्त किया गया था। यदि भुगतान को इस रूप में नहीं माना जा सकता है, तो यह दायर किए जाने वाले आवेदन या पहले से दायर किए गए आवेदन को प्रभावित नहीं करेगा।

(10) जबकि सुरेश चंद्र रॉय (ऊपर उल्लिखित) के मामले में परिस्थितियां वास्तव में वर्तमान मामले की परिस्थितियों से भिन्न थीं, उसमें की गई टिप्पणियों को यह सुझाव देने के लिए माना जा सकता है कि, विद्वान NYAYMURTIके अनुसार, जिन्होंने पिछले अघोषित निर्णय पर ध्यान आकर्षित किया था, मुआवजा प्राप्त करने के समय विरोध व्यक्त किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विद्वान न्यायमूर्ति ने निहित किया कि राशि प्राप्त करते समय ब्याज के साथ व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई रसीद में विरोध के शब्दों को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए।

(11सुरेश चंद्र रॉय के मामले में, कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को सूचित करते हुए एक नोटिस जारी किया कि उनके पक्ष में क्रमशः 57,000 और 33,000 से अधिक की दो रकम दी गई थी। नोटिस में कहा गया है कि वह 18 अगस्त, 1958 को व्यक्तिगत रूप से या भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय से अधिकृत एजेंट के माध्यम से राशि निकाल सकते हैं। 18 जुलाई, 1958 को यह नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता ने मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए अदालत के संदर्भ का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन में, उन्होंने अन्य बातों के अलावा, उल्लेख किया कि वह निर्दिष्ट तिथि पर विरोध के तहत मुआवजा स्वीकार करेंगे। 12 अगस्त, 1958 को, उन्होंने कलेक्टर के पास एक और आवेदन दायर किया, जिसमें 'सी' नाम के एक व्यक्ति को अपनी ओर से मुआवजे का पैसा वापस लेने के लिए अधिकृत किया गया। 18 अगस्त, 1958 को, उन्होंने अपने पक्ष में मुआवजे की राशि के लिए दो बैंक ड्राफ्ट जारी करने का अनुरोध किया। 30 जनवरी, 1959 को 'सी' ने बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि प्राप्त की और उनके लिए विधिवत दो रसीदें निष्पादित कीं। हालांकि, न तो 18 अगस्त, 1958 के आवेदन में, न ही 30 जनवरी, 1959 की रसीदों में, याचिकाकर्ता ने उस विरोध को दोहराया, जिसके तहत वह राशि स्वीकार कर रहा था। इसके बाद, उन्हें सूचित किया गया कि अधिनियम की धारा 31 (2) के अनुसार अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भों पर रोक लगा दी गई थी, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने राशि स्वीकार कर ली थी। असूचित निर्णय से विद्वान न्यायमूर्ति ने निम्नलिखित टिप्पणी को उद्धृत किया:–

"यह पैसे की प्राप्ति है जिसे यह देखने के उद्देश्य से देखा जाना है कि भुगतान विरोध के तहत प्राप्त किया गया था या नहीं।

(12) सुरेश चंद्र रॉय के मामले में विद्वान न्यायमूर्ति के विचार, जिसमें सुझाव दिया गया था कि रसीद में विरोध का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, को मोहम्मद गोलम अली मीना और एक अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य ए.आई.आर. 1969 कलकत्ता 221 मामले में उसी उच्च न्यायालय की पीठ से अनुमोदन नहीं मिला। इस उदाहरण में, व्यक्तियों ने विरोध के तहत दी गई राशि स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करते हुए आवेदन प्रस्तुत किए और तदनुसार भुगतान का अनुरोध किया। इसके बाद, कलेक्टर ने भुगतान किया, और उल्लिखित आवेदनों के पीछे रसीदों का समर्थन किया गया। हालांकि, इन रसीदों में "विरोध के तहत" शब्द शामिल नहीं थे। कलेक्टर ने मामले को न्यायालय में भेजने से इनकार कर दिया। पीठ ने निम्नानुसार कहा -

"****

भुगतान की रसीदें, जो अंततः दी गई थीं, उन आवेदनों के पीछे समर्थन किया गया था। इन परिस्थितियों में, ऐसी रसीदें स्वयं आवेदनों से संबंधित होनी चाहिए और उन्हें उसी के साथ जोड़ा जाना चाहिए और विरोध के तहत रसीद नहीं माना जा सकता है।."

फिर सुरेश चंद्र रॉय के मामले *(उपर्युक्त) का उल्लेख करते हुए* , यह निम्नानुसार देखा गया:–

"****

"हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायमूर्ति बनर्जी ने फैसले में एक टिप्पणी की कि विरोध को रसीद पर ही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, यह स्पष्ट है कि इस अवलोकन को, उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, अस्पष्ट सिद्धांत के रूप में माना जाएगा, और उस मामले को इसके तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग किया जाएगा। वर्तमान मामले के संबंध में इस मामले पर और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यदि उस विशेष मामले में इरादा यह स्थापित करना था कि रसीद को विरोध के बिना माना जाना चाहिए जब तक कि रसीद के शरीर में विरोध का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, तो हम सम्मानपूर्वक कानून की ऐसी व्यापक व्याख्या से असहमत हैं।"

(रिपोर्ट के पृष्ठ 224 पर पैराग्राफ 13 देखें).

(13) न्यायमूर्ति सिन्हा (जैसा कि वह तब थे) के असूचित निर्णय का उल्लेख करते हुए, जिस पर सुरेश चंद्र रॉय के मामले (उपर्युक्त) में न्यायमूर्ति बनर्जी, द्वारा भरोसा किया गया था, *बेंच ने फैसले के पैराग्राफ 14 में निम्नानुसार टिप्पणी की*।:–

"न्यायमूर्ति बनर्जी ने अतुल कुमार भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1957 का सी.आर. नं. 1925 (कलकत्ता) मामले में न्यायमूर्ति सिन्हा के पहले के अनकहे फैसले का भी हवाला दिया, जहां रसीद में विरोध को मूर्त रूप देने की आवश्यकता के बारे में इसी तरह की टिप्पणियां की गई थीं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि न्यायमूर्ति सिन्हा ने अपने उपरोक्त निर्णय में, मुख्य रूप से उनके समक्ष प्रस्तुत हलफनामों पर भरोसा किया और उस सबूत के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि उनके सामने विशिष्ट मामले में विरोध के बिना भुगतान की रसीद थी। उस मामले में न्यायमूर्ति सिन्हा के निर्णय का समर्थन उस विशिष्ट निष्कर्ष के आधार पर किया जा सकता है। हालांकि, अगर इरादा एक सामान्य सिद्धांत स्थापित करना था कि, जब तक कि रसीद पर विरोध को शामिल या समर्थन नहीं किया जाता है, दावेदार को संदर्भ मांगने से रोक दिया जाएगा, तो हम सम्मानपूर्वक इस तरह के प्रस्ताव से असहमत हैं। कानून में बस यह आवश्यक है कि दावेदार ने विरोध के बिना भुगतान स्वीकार नहीं किया है। यदि दावेदार स्पष्ट रूप से विरोध के तहत राशि या भुगतान प्राप्त करने के लिए कहता है, और फिर, उस अनुरोध के जवाब में, भुगतान किया जाता है, और दावेदार, जैसा कि वर्तमान उदाहरणों में देखा गया है, उल्लिखित आवेदन के पीछे भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि करता है, तो यह तर्क देना अतार्किक होगा कि दावेदार ने विरोध त्याग दिया और आपत्ति के बिना भुगतान स्वीकार कर लिया। "

(14) पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि, *सुरेश चंद्र रॉय के मामले में यह दृष्टिकोण* कि रसीद में विरोध को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी वैध कानून है।

(15) यह तर्क दिया गया था, और हमें तर्क सम्मोहक लगता है, कि यदि मुआवजे के भुगतान के लिए जारी की गई रसीद का पता पहले के आवेदन में लगाया जा सकता है, जहां विरोध के तहत राशि का अनुरोध किया गया था, तो मुआवजे की राशि की रसीद को इसी तरह अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ का अनुरोध करने वाले आवेदन पर वापस पाया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से यह कहते हुए कि दावेदार अवॉर्ड स्वीकार नहीं करता है, विशेष रूप से राशि या इसके वितरण के बारे में।

(16) हमारे सामने जो मामला है, उसमें इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने राशि प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया था। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है,

फैसले के पांच दिनों के भीतर, उन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि वे मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं थे, जिसका दावा उन्होंने 40 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से किया था। यदि इसके बाद उन्हें भुगतान वाउचर भेजा जाता है और उन्हें वाउचर द्वारा कवर की गई राशि प्राप्त होती है, तो पहले के आवेदन से वाउचर की रसीद को डिस्कनेक्ट करना सही नहीं होगा, जब तक कि यह दिखाने के लिए कुछ अन्य सामग्री न हो कि उन्होंने अधिक मुआवजे की मांग करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, जैसा कि उन्होंने अपने पहले आवेदन में कहा था।

(17) इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क में भी बल है कि अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (2) का दूसरा परंतुक केवल एक आवेदन करने पर रोक लगाता है और अपने आप में, इतने शब्दों में, पहले से लंबित आवेदन से संबंधित नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक पूर्वगामी कानून है और धारा 31 (2) का दूसरा परंतुक किसी इच्छुक व्यक्ति से वह अधिकार छीन लेता है जो उसे देय मुआवजे के निर्धारण के लिए सिविल कोर्ट को संदर्भित करने का अधिकार देता है और व्याख्या के नियम उस विषय के खिलाफ बहुत उदार व्याख्या की आवश्यकता नहीं है जिसकी व्याख्या से अधिकारों को छीनने की संभावना है। जो धारा 18 के तहत रुचि रखने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं। यह प्रावधान केवल उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है जिसने "आवेदन करने" के लिए विरोध के अलावा मुआवजे की राशि प्राप्त की है। शांता बाई बनाम विशेष उप कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, हैदराबाद ए.आई.आर. 1971 ए.पी. 117 मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने यही विचार व्यक्त किया है। उस मामले के तथ्य कमोबेश हमारे सामने मौजूद मामले से मिलते-जुलते थे। उस मामले में 4 जुलाई, 1967 को एक अवॉर्ड दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 10 अगस्त, 1967 को कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें मुआवजे की पर्याप्तता पर विवाद किया गया और अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की गई। हालांकि, याचिकाकर्ता को अपने पति की मृत्यु के कारण पैसे की जरूरत थी और इस कारण से उसने भूमि अधिग्रहण अधिकारी से मुआवजे की राशि वापस ले ली। मुआवजे की राशि वापस लेते समय, उसने "वहां उल्लेख नहीं किया कि वह विरोध के तहत ऐसा कर रही थी"। कलेक्टर ने बिना विरोध के इस तरह की वापसी के कारण मामले को संदर्भित करने से इनकार कर दिया। विद्वान NYAYMURTIने अधिनियम की धारा 31 (2) के पहले और दूसरे परंतुक का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की::–

> “याचिकाकर्ता ने मुआवजे की पर्याप्तता पर आपत्ति जताई और 10 अगस्त, 1967 को भी अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल कोर्ट में अपने दावे का संदर्भ देने की मांग की। केवल 11 दिन बाद, अर्थात् 21 अगस्त, 1967 को उन्होंने मुआवजा वापस ले

लिया। धारा 31 का दूसरा परंतुक धारा 18 के तहत किसी भी आवेदन को करने से रोकता है। यह आवेदन पहले ही किया जा चुका था और जब ऐसा आवेदन किया गया था तो भूमि अर्जन अधिकारी इसे सिविल न्यायालय को भेजने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, सिविल कोर्ट में दावे के संदर्भ की मांग करने वाली याचिका दायर करने की परिस्थितियां एक सकारात्मक संकेत हैं कि याचिकाकर्ता फैसले के तहत तय मुआवजे की राशि पर आपत्ति कर रहा है और बाद में वापस ली गई राशि केवल विरोध के तहत वापस ले ली गई थी। अधिनियम के तहत या नियमों के तहत निर्दिष्ट विरोध को इंगित करने का कोई विशेष रूप नहीं है। इस तरह का विरोध या तो स्पष्ट हो सकता है या परिस्थितियों से आवश्यक निहितार्थ द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। तथ्य यह है कि उन्होंने पहले अदालत में अपने दावे के संदर्भ के लिए एक याचिका दायर की थी, जो उनके विरोध का एक सकारात्मक संकेत है।

(18) इसी तरह का दृष्टिकोण दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने *तारा चंद* बनाम *भूमि अधिग्रहण कलेक्टर*,दिल्ली ए.आई.आर. 1971 दिल्ली 116 *मामले में लिया था।* विद्वान न्यायमूर्ति ने कहा कि धारा 18 के तहत संदर्भ का दावा करने का वैधानिक अधिकार छीन लिया जाता है यदि (1) आवेदन निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है या (2) आवेदक को विरोध के अलावा मुआवजे की राशि प्राप्त हुई है। तब विद्वान न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"***.

लेकिन जब धारा 18 के तहत एक वैध आवेदन किया जाता है, तो आवेदक द्वारा मुआवजे की बाद की स्वीकृति उसे केवल इस आधार पर संदर्भ पूछने से नहीं रोकेगी कि रसीद में ही उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि इसे विरोध के तहत स्वीकार किया जा रहा था।"

कॉलम 2 में रिपोर्ट के पृष्ठ 118 पर, विद्वान न्यायमूर्ति ने निम्नानुसार टिप्पणी की:–

"इस कट्टरपंथी तर्क का कोई औचित्य नहीं है कि धारा 31 (2) के पहले परंतुक के अनुसार, रसीद में "विरोध के तहत" वाक्यांश को शामिल करने से इनकार करना, मौजूदा परिस्थितियों को नकारने के लिए पर्याप्त होगा जहां याचिकाकर्ता ने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ फैसले को अंतिम रूप नहीं दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था।"

(19) तारा चंद (ऊपर उल्लिखित) के मामले में, अवॉर्ड 13 जून, 1969 को जारी किया गया था। इसके बाद, 10 जुलाई, 1969 को, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से मुआवजे के शीघ्र भुगतान का अनुरोध किया गया और मुआवजे में वृद्धि की मांग करने के अधिकार को संरक्षित करते हुए विरोध के तहत स्वीकृति का संकेत दिया गया। करीब 12 दिन बाद 22 जुलाई 1969 को याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 18 के तहत अर्जी दाखिल की। मुआवजा 24 जुलाई, 1969 को वितरित किया गया था। मामले के विवरण के संदर्भ में, विद्वान न्यायमूर्ति ने यह नोट करने के बाद कि 22 जुलाई, 1969 को किए गए आवेदन को उस तारीख को या तो समय की कमी या विरोध के बिना मुआवजे की स्वीकृति के कारण प्रतिबंधित नहीं किया गया था, निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "कलेक्टर के आभासी निर्धारण का अर्थ है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक वैध आवेदन को बाद में अवॉर्ड के तहत मुआवजा स्वीकार करके रद्द किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कलेक्टर का निष्कर्ष अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर आधारित नहीं है। इसलिए, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या वैधानिक अधिकार की छूट या परित्याग जैसे सामान्य कानूनी सिद्धांतों के आधार पर, कलेक्टर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पहले से ही वैध आवेदन को एक कारण से खारिज कर सकता है जो आवेदन जमा होने के बाद उभरा, भले ही आवेदन किए जाने पर वैध था।
>
> इसके बाद माननिए न्यायमूर्ति ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सरदार रणजीत सिंह ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 933 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननिए न्यायमूर्ति के एक निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि:-
>
> "_____.
>
> सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि जब तक किसी व्यक्ति का आचरण उसके द्वारा वैधानिक अधिकार के निरंतर कब्जे के साथ पूरी तरह से असंगत नहीं है, तब तक इसे निहित छूट के रूप में नहीं लिया जाएगा। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को निहित छूट द्वारा अपना अधिकार खोने के लिए दोषी ठहराया जा सके, ऐसे व्यक्ति का आचरण स्पष्ट रूप से उसके द्वारा इस तरह के अधिकार को बनाए रखने के साथ असंगत होना चाहिए।

उस मामले के तथ्यों पर, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता का आचरण न केवल धारा 18 के तहत संदर्भ देने के अधिकार के कब्जे के अनुरूप था, बल्कि उसके द्वारा इस तरह के अधिकार की माफी के सिद्धांत के साथ पूरी तरह से असंगत था।

(20) हम ताराचंद के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय (ऊपर संदर्भित) के विद्वान न्यायमूर्ति और शांता बाई के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (ऊपर संदर्भित) के विद्वान न्यायमूर्ति द्वारा अधिनियम की धारा 31 (2) के दूसरे परंतुक की व्याख्या के संबंध में की गई टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। वैध आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद मुआवजे की स्वीकृति धारा 31 (2) के दूसरे परंतुक के आवेदन के कारण आवेदन को अमान्य नहीं बनाती है। हालांकि, अगर इस तरह के मुआवजे को स्वीकार किया जाता है, और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक छूट दी गई है, चाहे निहित हो या व्यक्त हो, जो एक अलग मामला होगा।

(21) वर्तमान उदाहरण में, हम ध्यान दें कि संदर्भ के लिए आवेदन 24 दिसंबर, 1968 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रस्तावित मुआवजा अस्वीकार्य था, और 40 रुपये प्रति वर्ग गज के लिए दावा किया गया था। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं ने मुआवजे की राशि के भुगतान की मांग करते हुए एक आवेदन दायर नहीं किया। कलेक्टर से प्राप्त वाउचर को प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर केवल कैश करने का कार्य, संदर्भ के लिए आवेदन दायर करने के उनके वैधानिक अधिकार को त्यागने के इरादे का संकेत नहीं देता है - एक पात्रता जो वे पहले ही निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रयोग कर चुके थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सामान्य परिस्थितियों में, यह देखते हुए कि संदर्भ के लिए आवेदन 1968 में किया गया था, कलेक्टर ने इसके तुरंत बाद संदर्भ देने के लिए आगे बढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, यदि संदर्भ पहले ही शुरू किया जा चुका था और बाद में आवेदकों को भुगतान प्राप्त हुआ था, तो यह तर्क देना अनुचित होगा कि इस तरह की बाद की स्वीकृति पहले से किए गए संदर्भ को अमान्य बना देगी। हालांकि, राज्य-प्रतिवादी के वकील ने यह सुझाव देते हुए एक चरम रुख अपनाया कि भले ही संदर्भ अदालत को अग्रेषित किया गया था और अदालत सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रही थी, लेकिन इस तरह के संदर्भ अपनी वैधता खो देंगे यदि मुआवजे की राशि बाद में विशिष्ट विरोध के बिना स्वीकार की जाती है। इस व्याख्या को धारा 31(2) के दूसरे परंतुक की भाषा में कोई समर्थन नहीं मिलता है। हम तारा चंद के मामले और शांता बाई के मामले (ऊपर उल्लिखित) में समर्थित परिप्रेक्ष्य के साथ संरेखित करना चुनते हैं और पुष्टि करते हैं कि एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, और मुआवजे की राशि बाद में स्वीकार कर ली जाती है, तो यह धारा 18 के तहत एक नया आवेदन दाखिल करने का गठन नहीं करता है जो पहले से ही प्रगति पर है। यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते समय, अवॉर्ड की स्वीकृति के बिना और निर्धारित अवधि के भीतर वैध था, तो कलेक्टर के पास बाद में न्यायालय में रेफरल को अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(22प्रतिवादी की ओर से जसवंत सिंह बनाम *पंजाब राज्य* ए.आई.आर. 1972 पीबी &एचआर. 31 *का* भी संदर्भ दिया गया था/. इस मामले में, कलेक्टर ने निम्नलिखित आदेश के साथ आवेदन को अस्वीकार कर दिया: -

> पीठ ने कहा, 'अवॉर्ड की फाइल देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी विरोध के मुआवजा स्वीकार कर लिया था. कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता। खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह था कि कलेक्टर गलत थे जब उन्होंने देखा कि याचिकाकर्ता ने बिना विरोध के मुआवजा स्वीकार कर लिया था। विद्वान NYAYMURTIने निम्नानुसार टिप्पणी की -

> "इस विवाद को सत्यापित करने के लिए; मामले का रिकॉर्ड भेजा गया था। हालांकि, वे बताते हैं कि विद्वान कलेक्टर द्वारा दिया गया बयान सही था। जिस रजिस्टर में विभिन्न भूस्वामियों को भुगतान दर्ज किया गया है, उससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी विरोध के मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली थी।
>
> ******
>
> ऐसा होने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने विरोध के तहत मुआवजे की राशि स्वीकार की थी।

(23) यह मामला स्पष्ट रूप से इसके तथ्यों पर तय किया गया था और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मुआवजे की स्वीकृति से पहले आवेदन किया गया था या नहीं।

(24) उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए, हम इस अपील को अनुमति देते हैं, विद्वान एकल न्यायमूर्ति के फैसले को पलटते हैं, और पुष्टि करते हैं कि कलेक्टर के पास आवेदन को खारिज करने और अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। नतीजतन, हम रिट याचिका मंजूर करते हैं, कलेक्टर के 10 जुलाई और 18 अगस्त, 1970 के आदेशों को निरस्त करते हैं। कलेक्टर को अब कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में अधिनियम की धारा 18 के तहत मामले को तुरंत सिविल कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता इस अपील और विद्वान एकल न्यायमूर्ति दोनों के समक्ष अपनी लागत के हकदार होंगे।

न्यायमूर्ति सरकाहिया–मैं सहमत हूँ।

बी.एस.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा